(ग) **एम०ओ०पी०** - (1) कण नम करने पर आपस में चिपकते नहीं
(2) पानी में घोलने पर खाद का लाभ भाग पानी में ऊपर तैरता है।
(3) सफेद, कणाकार, नमक तथा लाल मिर्च के मिश्रण जैसा दिखता है।

हरी खाद

भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए हरे पौधों को अथवा उनके किसी भाग को खेत में पलट कर सड़ा दिया जाता है, इससे हरी खाद बनती है। यह दो प्रकार से तैयार की जाती है -

1. खेत में हरी खाद उगाकर पलटना
2. अन्यत्र उगाये गये पेड़ पौधों की हरी पत्तियाँ तथा मुलायम शाखाएँ काटकर उन्हें खेत में डालकर मिट्टी में दबा दिया जाता है।

हरी खाद के लाभ -

1. भूमि को जीवांश पदार्थ मिलता है।
2. भूमि की भौतिक एवं रासायनिक दशा सुधरती है।
3. हरी खाद से पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है।
4. दलहनी वर्ग के हरी खाद के पौधों की जड़ों में पायी जाने वाली रांइजोबियम बैक्टीरिया वातावरण से भूमि में नाइट्रोजन इकट्ठा करती हैं।
5. भूमि में जल शोषण बढ़ता है। भूमि का कटाव रूकता है।

हरी खाद के लिये प्रयुक्त होने वाली फसलें -

क्र०सं०	फसल (किग्रा०/हेक्टे०)	बीज की मात्रा	पलटाई का समय नाइट्रोजन (किग्रा०)	प्रति हेक्टेयर संस्थापित
1.	सनई	90-100	42 दिन पर	82
2.	ढैंचा	25-30	42 दिन पर	76
3.	मूँग	20-25	फली तोड़ने के बाद 65 दिन पर	38
4.	उर्द	25-30	फली तोड़ने के बाद 85 से 90 दिन पर	42
5.	लोबिया (चोर वाली)	35-40	60 दिन पर	55

किसान क्रेडिट कार्ड

किसानों को समय से पर्याप्त वित्तीय सुविधा पहुँचाने के लिये "क्रेडिट कार्ड" योजना सारे देश में प्रारम्भ की गई है। इस योजना से किसानों को समस्त कृषि एवं पारिवारिक आवश्यकताओं हेतु 5000 रुपये या उससे अधिक के ऋण बैंकों से उपलब्ध हो सकेगें। बैंको द्वारा यह क्रेडिट कार्ड नि:शुल्क जारी किया जाता है। इसके माध्यम से किसानों को बार-बार ऋण आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता नहीं होगी और वे वर्ष में कई बार धन निकाल एवं जमा कर सकते हैं।

सहकारिता विभाग

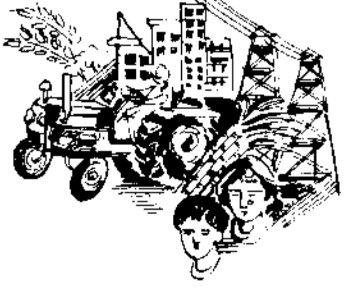

यह विभाग दो प्रमुख क्षेत्रों में अपने सदस्यों को सहायता प्रदान करता है : 1. कृषि क्षेत्र 2. उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में कृषि ऋण सहकारी समितियाँ सदस्यों को आवश्यकतानुसार उर्वरक उन्नतशील बीज, कृषि रक्षा रसायन, उपकरण तथा यंत्र प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त खरीफ तथा रबी अभियान में 14.5% ब्याज पर फसली ऋण उपलब्ध कराती है जिसकी वसूली सहकारी कर्मचारियों एवं अमीनों से करायी जाती है। उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र में यही समितियाँ चीनी, मिट्टी का तेल, खाद्यान्न तथा नियंत्रित वस्त्र आदि निर्धारित मूल्य पर ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित करती हैं। नगर क्षेत्र में यही कार्य केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डारों एवं जिला सहकारी संघ की दुकानों के माध्यम से कराया जाता है।